फर्द अहकाम

विशाल बनाम अर्जुन व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

केस संख्या 53/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/10/24	दिए जाते हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही / बहस प्रार्थना पत्र टी. आई. दिनांक 11/11/24 को मूलवाद के साथ पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	11/11/24	आज दिनांक 11/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20/11/24 को पेश हों।
	20/11/24	आज दिनांक 20/11/24 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेस/ कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य [प्रोटोकोल ड्यूटी] कार्य में व्यस्त/अवकाश पर हैं। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/11/24 को पेश हों।
	28/11/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। बहस प्रार्थनापत्र टी. आई. पर सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि प्रार्थी की ओर से ग्राम- सांगावाला तह. आमेर जिला जयपुर स्थित स्वयं की खातेदारी की भूमि आ.ख.नं. 173, 210, 216, 235, 238, 240, 244, 244/396, 250, 252, 254, 256, 312/508, 4/535 कुल खसरा किता-14 कुल रकबा 3.86 है. के सन्दर्भ में बाउंड्री, मेट्स एंड बाउंड्स विधिक विभाजन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

फर्द अहकाम

विशाल बनाम अर्जुन व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

संख्या 53/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28/11/24	हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है। जिसके अन्तर्गत प्रार्थी (वादी) का 1/14 हिस्सा दर्ज / निहित है। प्रार्थी की खातेदारी की उक्त उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन हेतु प्रस्तुत वादपत्र एवं उल्लेखित भूमि के विधिक विभाजन होने तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने हेतु प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थनापत्र टी. आई. के सन्दर्भ में किसी प्रकार की उज्र आपत्ति अथवा जवाब हेतु अप्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) को विधिवत सूचित (प्रावधानानुसार) किए जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा मे उपस्थिति प्रस्तुत नहीं की गई है, ना ही वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी. आई. का किसी भी मान्य स्तर पर, किसी भी रूप में कोई समुचित / औपचारिक खंडन अथवा भूमि के विधिक विभाजन व विधिक विभाजन होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत किसी भी प्रकार की कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है जबकि प्रकरण उल्लेखित खातेदारी अनुसार भूमि के विधिक विभाजन मांग से सम्बन्धित है। जिससे वाद बहुलता व न्यायहित के दृष्टिगत भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र टी. आई. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूलवाद के निस्तारण तक उल्लेखित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 173, 210, 216, 235, 238, 240, 244, 244/396, 250, 252, 254, 256, 312/508, 4/535 कुल खसरा किता 14 कुल रकबा 3.86 है. की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखने बाबत पाबन्द फरमाया जावे। [illegible] प्रार्थी अधिवक्ता की बहस [illegible] टी. आई. पर सुनी, तथ्यों [illegible] व पत्रावली का गौरपूर्वक	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 16:56:16 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

विशाल बनाम अर्जुन व अन्य

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

केस संख्या 53/2023

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28.11.24	अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन व तथ्यों के समग्र विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी (वादी) की ओर से स्वयं की अभिलिखित खातेदारी की भूमि के विधिक विभाजन के सन्दर्भ में मूलवाद प्रस्तुत किया गया है। जो लम्बित है, साथ ही भूमि के विधिक विभाजन तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु हस्तगत प्रार्थनापत्र टी.आई. प्रस्तुत किया गया है। जिसके क्रम/सन्दर्भ में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31.08.23 को पारित किया गया है। जो आज दिनांक तक प्रभावी है। उक्त संदर्भ में कोई अन्य आपत्ति अथवा कोई समुचित/औपचारिक खंडन अथवा जवाब किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, अपितु अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद विधिवत प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी नोटिस/सूचना के न्यायालय कक्ष में उपस्थिति भी प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही आदेश पूर्व में पारित है। अतः चूँकि प्रकरण में किसी भी अप्रार्थी पक्षकार द्वारा किसी भी मान्य/समुचित स्तर पर वादपत्र व प्रार्थनापत्र टी.आई. के तथ्यों का कोई खंडन अथवा किसी भी प्रकार की कोई अन्य आपत्ति अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संदर्भ में आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई है तथा वाद बहुलता के दृष्टिगत व पक्षकारान हित में भी भूमि वादग्रस्त को संरक्षित रखा जाना आवश्यक व न्यायोचित समझते हैं। अतः न्यायहित व वाद बहुलता के दृष्टिगत पूर्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 31.08.23 को तां फैसला मूलवाद स्थाई किया जाकर अप्रार्थी पक्षकारान को जरिये निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

फर्द अहकाम

विशाल बनाम अर्जुन व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

53/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
28.11.24	कि वे ग्राम सांगावाला तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित वादग्रस्त भूमि आ.ख.नं. 173, 210, 216, 235, 238, 240, 244, 244/396, 250, 252, 254, 256, 312/508, 4/535 कुल खसरा किता 14 कुल रकबा 3.86 हे. की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। विरासत नामांतकरण के संदर्भ में उक्त आदेश प्रभावी नहीं होगा। निर्णय सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय–जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Laxmi Narayan Bunker
Date: 2025.01.29 15:56:16 IST
Reason: SelfAttested